119

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : दो-पुनरावलोकन/सीहोर/भू.रा./2018/2109 - विरूद्व आदेश दिनांक 6-3-2018 - पारित व्दारा - सदस्य , राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण कमांक 965-दो/2014 निगरानी

कृष्णकांत पुत्र विचित्र कुमार सक्सैना
ग्राम खुरानिया निवासी 22 विचित्र विला
प्रोफेसर कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्व

श्रीमती राजश्री पंवार पत्नि रनछोड़सिंह पवांर
कृषक ग्राम खुरानिया निवासी नेहरूनगर भोपाल ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 20-04-2018 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य , राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 965-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-3-2018 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार सीहोर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खुरानिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 130/3 रकबा 0.351 है. के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार सोहोर ने प्रकरण कमांक 164 अ-12/ 2012-13 पॅजीबद्व किया तथा पटवारी हलका नंबर 72 से सीमांकन कराकर आदेश दिनांक 22-7-2013 पारित किया एंव पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। सीमांकन आदेश दिनांक 22-7-2013 के विरूद्व आवेदक ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की। सदस्य , राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 965-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-3-2018 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश पर से यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 965-दो/2014 निगरानी का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि तहसीलदार ने हलका पटवारी से सीमांकन कराते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है हलका पटवारी ने आवेदक को कोई व्यक्ति सूचना नहीं दी है जबकि आवेदक मेढ़िया कास्तकार है इस तथ्य पर गौर किये बिना आदेश दिनांक 6-3-2018 पारित करने में त्रृटि हो गई है और यह त्रृटि प्रत्यक्षदर्शी है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने के पर्याप्त आधार हैं।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 965-दो/2014 में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई है एंव पूर्ण विचार कर आदेश दिनांक 6-3-18 पारित किया है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए तथ्य आधारहीन है इसलिये पुनरालोकन आवेदन निरस्त किया जावे।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि अनावेदक का सीमांकन आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार सीहोर ने हलका पटवारी को सीमांकन करने के निर्देश दिये है जिसके कम में हलका पटवारी ने स्थल की पैमायश उपरांत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और हलका पटवारी के सीमांकन प्रतिवेदन को तहसीलदार सीहोर ने आदेश दिनांक 22-7-13 से अंतिमता प्रदान की है। विचाराधीन प्रकरण में देखना है कि क्या पटवारी किसी भूमि को सीमांकित करके सीमा चिन्हित करने की कार्यवाही करने हेतु सक्षम है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 - पटवारी के कर्तव्यों के नियम - नियम 1 से 32 निर्धारित - नियमों में पटवारी के कर्तव्यों में किसी भूमि के भू भाग को सीमांकित करके सीमा चिन्हित कराने की कार्यवाही निर्धारित नहीं है, जबकि हलका पटवारी द्वारा दिनांक 23-6-13 को किये गये सीमांकन एंव सीमा-चिन्ह निर्धारण को तहसीलदार सीहोर ने स्व-स्तर से जांच किये बिना आदेश दिनांक

22-7-13 पारित किया है और आदेश दिनांक 6-3-2018 पारित करते समय इसी तथ्य के ध्यान में न आने के कारण निगरानी प्रकरण क्रमांक 965-दो/2014 में आदेश दिनांक 6-3-2018 से निरस्त करने में भूल हुई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन आँशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 965-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-3-2018 तथा तहसीलदार सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 164 अ 12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-7-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार सीहोर की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह राजस्व निरीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से दोनों पक्षों की उपस्थिति में वाद विचारित भूमि का सीमांकन करावें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर